राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. फ0/39/डीडीएमए/कोविड–19/2020/227 **दिनांकः 12.06.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय– समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए ।

और, जबकि, गृह मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश सं0 40–3/2020–डीएम–I (ए) दिनांक 30 मई, 2020 के अनुसरण में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 30.6.2020 तक कंटेनमेंट जोनों में लॉकडाउन के विस्तार और चरणबद्ध पुनः खोलने (अनलॉक–1) के संबंध में आदेश संख्या 212 दिनांक 01.6.2020 जारी किया है।

और, जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश संख्या– 212 दिनांक 01.06.2020 के साथ उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार, सुबह 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों के आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने डी0ओ0 पत्र सं0 40–10/2020–डीएम–I (ए) दिनांक 12.06.2020 द्वारा सूचित किया है कि यह देखा गया है कि कुछ राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश भी रात्रि 9:00 बजे और प्रातः 5 बजे के बीच राजमार्गों पर व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही को भी प्रतिबंधित कर रहे हैं जो उनकी सहज आवाजाही में बाधा है और स्पष्ट किया जाता है कि रात्रि 9 बजे से और सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने का उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्तियों के एकत्र होने से रोकना और सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना है। यह भी उल्लेख किया गया है कि ये प्रतिबन्ध सामान की लोडिंग /अनलोडिंग (सप्लाई चेन /लॉजस्टिक के भाग के रूप में) ; राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले व्यक्तियों को लाने ले जाने वाली बसें और ट्रकों और मालवाहकों या बसों, ट्रेनों और उड़ानों से उतरने के बाद अपने गंतव्य की यात्रा करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे ।

अब, इसलिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य कार्यकारिणी समिति, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अद्योहस्ताक्षरी एतद् द्वारा सभी संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस तरह की आवाजाही को न रोकें जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और समस्त जिला मजिस्ट्रेट और जिला अपायुक्त, पुलिस इसका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली.

प्रतिलिपि अनुपालनार्थ :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. आयुक्त पुलिस, दिल्ली।
3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
4. प्रधान सचिव (आई एंड पी,), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. आयुक्त (दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/पूर्वी दिल्ली नगर निगम/उत्तरी दिल्ली नगर निगम)।
6. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
11 प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की ddma.delhigovt.nic.in. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।